


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2016/फाल्गुन 20, 1937

No. 155]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2016/ PHALGUNA 20, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2016

सा.क.नि. 288(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 30 मार्च, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 233 (अ) तारीख 30 मार्च, 2015 के हिन्दी पाठ में पृष्ठ 2 पर पंक्ति एक और दो के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :-

"परन्तु प्रत्येक आयुक्तालय का अपना पृथक काडर तब होगा जब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा विहित नहीं कर दिया गया हो "।

[फा. सं. ए-12018/06/2010-प्रशासन-3 बी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव